न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 585/2018

1. मेजर सिह पुत्र श्रवण सिह जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर नाबालिग जरिये माता श्रीमति जय कौर पत्नी श्रवण कुमार जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. श्रवण कुमार उर्फ स्वर्ण सिह पुत्र जीत सिह जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर।
2. श्रीमति सन्त कौर पत्नी जीत सिह जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर।
3. भगवानदास पुत्र जीत सिह जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर।
4. रामस्वरूप पुत्र जीत सिह जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर।
5. कश्मीर कौर पुत्री जीत सिह पत्नी छिन्द्रपाल सिह जाति बावरी निवासी 3 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
6. इन्द्राज कौर पुत्री जीत सिह पत्नी हंसराज जाति बावरी निवासी बगीचा तहसील रायसिहनगर।
7. छिन्द्रपाल कौर पुत्री जीत सिह पत्नी राजूराम जाति बावरी निवासी 97 जीजी तहसील अनूपगढ।
8. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 25/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 39 जीजी की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 95/41 के मु0 नं0 19 की 2.530 हैक्टर नहरी भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.114 हैक्टर नहरी भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 0.070 हैक्टर नहरी भूमि एवं इस खाता की शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है यह भूमि प्रार्थी के परदादा हजारा सिह के नाम दर्ज थी तथा हजारा सिह की मृत्यु के बाद यह भूमि प्रार्थी के दादा जीत सिह के नाम दर्ज हुई। जीत सिह की मृत्यु के बाद यह भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। यह भूमि हिन्दू खानदान की सयुक्त खाता की भूमि थी इसलिये यह भूमि पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.114 हैक्टर भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थी का जन्म से ही अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्सा का हक है। अप्रार्थी संख्या 2 को जो भूमि विरास्त मे प्राप्त हुई है। उसमे भी प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के साथ अपने हिस्से के अनुसार भूमि का हकदार है तथा अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 नशेडी आदमी है तथा उसने अप्रार्थी संख्या 2 को अपने प्रभाव मे ले रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलकर प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के हिस्से की भूमि को हडप करना चाहता है पूर्व मे अप्रार्थी संख्या 2 की 0.079 हैक्टर भूमि दान पत्र के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्राप्त की गई है तथा दूसरी भूमि प्राप्त करने की फिराक मे है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 धमकी दे रहा है कि वह शीघ्र ही अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि किसी अन्य को स्थानान्तरित कर देगा जिसके कारण प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 को अपनी भूमि से वंचित होना पडेगा। दो रोज पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलकर अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा इस भूमि को रहन या किसी अन्य को स्थानान्तरित कर दिया तो प्रार्थी के अधिकारो का हनन होगा। इसलिये प्रथम दृष्टिय मामला, राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 39 जीजी की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 95/41 के मु0 नं0 19 के 2.530 हैक्टर नहरी भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.114 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.070 हैक्टर नहरी भूमि को रहन व स्थानान्तरित नही करे तथा यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से श्री इन्द्रजीत सिह अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2,3,5,6,7 की और से श्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

...राम प्रसाद शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 4 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद ...स्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 2,3,5,6,7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को भूमि जीत सिह से प्राप्त हुई है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मे से हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है, अन्य भूमि मे हिस्सा प्राप्त नही कर सकता। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे 0.070 हैक्टर भूमि दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 औरत होने के कारण अन्तर्गत धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार नियम के अनुसार स्वंय मालिक है जिसमे प्रार्थी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टिय मामला अप्रार्थीया के हक मे है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही है, राईट एण्ड टाईटल अप्रार्थीया का है। प्रार्थी खातेदार नही है इसलिये खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। जिसमे प्रार्थी को कोई हिस्सा नही बनता है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि को हडप करना चाहता है इसलिये गलत तथ्यो पर दावा पेश किया है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज हेतू निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा चक 39 जीजी की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 95/41 के मु0 नं0 19 की 2.530 हैक्टर नहरी भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.114 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 0.070 हैक्टर भूमि को पैतृक सम्पत्ति का कथन करते हुये अपने हिस्से की मांग करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू निवेदन किया है। प्रार्थी को इस वादगत भूमि मे अपने पिता से कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य से तय होना है परन्तु प्रार्थी के हिस्सा तक की भूमि को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है इसलिये प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक चक 39 जीजी की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 95/41 के मु0 नं0 19 की 2.530 हैक्टर नहरी भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.114 हैक्टर भूमि मे से प्रार्थी के हक एवं हिस्सा तक की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.070 है. भूमि तक दिनांक 24.07.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner